न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 800–तीन/09 विरूद्व आदेष दिनांक 02–06–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का राजस्व प्रकरण कमांक 133/निगरानी/07–08

राघवेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री सम्पति कुमार सिंह,
निवासी ग्राम सिरखिनी, तहसील रायपुर कर्चुलियान,
जिला रीवा म0प्र0

..........................आवेदक

बनाम

1. श्रीमती बतूसन सिंह पत्नी स्व. श्री यादवेन्द्र सिंह
2. श्री रावेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री यादवेन्द्र सिंह
3. श्री धीरेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री यादवेन्द्र सिंह
   तीनो निवासी ग्राम सिरखिनी, तहसील रायपुर कर्चुलियान,
   जिला रीवा म0प्र0
4. शासन म0प्र0

.........................अनावेदकगण

श्री अमिताब चतुवेर्दी, अभिभाषक, आवेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक01/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 02–06–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकार का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के द्वारा अपने प्रकरण क. 43/अ–68/91/92 में पारित आदेश दिनांक 26–10–90 के द्वारा ग्राम सिरखिनी स्थित शासकीय आराजी नं. 519 रकवा 0.020 है, 520 रकवा 0.032 है, 521 रकवा 0.129 है,

कुल 03 किता रकवा 0.129 है में यादवेन्द्र सिंह तनय संपति कुमार सिंह निवासी ग्राम सिरखिनी तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा का बेजा कब्जा हटाने तथा 50 / – अर्थदण्ड का आदेश दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। आपत्तिकर्ता राघवेन्द्र सिंह द्वारा यह आपत्ति की गई कि प्रश्नाधीन भूमियों मे वह 1 / 2 हिस्से में काबिज है अतः उसे हितधारी व्यक्ति मानकर पक्षकार के रूप में स्वीकार करते हुये 1 / 2 भाग पर उसका हक स्वीकार किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपने प्रकरण 03 / अ–68 / 05–06 की आदेश पत्रिका 20–12–2006 के द्वारा आपत्तिकर्ता को पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरूद्ध राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य 2 के द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके द्वारा प्रकरण क. 359 / अ–68 / 06–07 में पारित आदेश दिनांक 03–11–07 के द्वारा स्थिर रखा गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने दिनांक 02–6–2009 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि ख0क0 519, 520, एवं 521 म0प्र0 शासन अभिलेख दर्ज है। अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण किये जाने पर विचारण न्यायालय में उनके विरूद्ध प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जहां आवेदक द्वारा पक्षकार बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक 1 / 2 भाग का हितधारी कैसे हो सकता है जबकि प्रश्नाधीन

भूमि शासकीय है। पटवारी रिपोर्ट में भी आवेदक का कब्जा नहीं पाया है और न ही तहसीलदार द्वारा आवेदक को कब्जा हटाने संबंधी कोई सूचना पत्र जारी किया है। ऐसी स्थिति अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के आवेदक को पक्षकार बनाने का आदेश देने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त ने अपने आदेश से निरस्त किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 02-6–2009 स्थिर रखा जाता है।

01/11/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर